पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 428/2025

1 हुकमाराम पुत्र करनीराम जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)

—वादी

बनाम

1 करनी राम पुत्र ईश्रराम जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)

2. कमला (सतपाल) पुत्री करनीराम जाति बावरी निवासी तलवाड़ा खुर्द जिला सिरसा (हरियाणा)

3. माया (पत्नी मोमनराम) पुत्री करनीराम जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 14, तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

4. प्रमिला (धनराज) पुत्री करनीराम जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 13, चक 5 एलएसएम, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

5. श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती हैः— चक न0 3 बी आर डब्लयु के खाता स0 137/96 में प्रतिवादी स0 1 का 1/5 हिस्सा व चक न0 1 बी आर डब्लयु के खाता स0 195/62 में प्रतिवादी स0 1 का 4405/88044 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक न0 चक न0 3 बी आर डब्लयु के खाता स0 137/96 चक न0 1 बी आर डब्लयु के खाता स0 195/62 में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।